

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जनपद फतेहपुर।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद फतेहपुर।

पत्रांक- 10418-23

/2020-21

दिनांक -18-01-2021

विषय- 15 अगस्त 2020 के अवसर पर जनपद फतेहपुर को तम्बाकू मुक्त विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित एवं कोविड-19 के महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु विद्यालयों व कार्यालय को धूम्रपान/तम्बाकू पान-मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू के उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके क्रम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त परिषदीय विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त की घोषणा व कोविड-19 के महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु समस्त परिषदीय विद्यालय व कार्यालय को धूम्रपान/तम्बाकू पान-मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू के उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के परिपालन में कार्यालय व विद्यालयों कुल 2127 में 2120 विद्यालय तम्बाकू मुक्त होने की सूचना जनपद के समस्त विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित की गई है, आख्या/सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक-उक्तवत्

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर

पृ0सं0/

/2020-21 तददिनांक

- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
01. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ) उ0प्र0 लखनऊ।
 02. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर।
 03. राज्य नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0 लखनऊ।
 04. अधिशासी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0 लखनऊ।
 05. नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फतेहपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर